(26)

(60)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2632–एक/13, विरूद्ध आदेश दिनांक 27–04–2013 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना का प्रकरण कमांक 108/अपील/2011–12,

.....

1– बाबूसिंह पुत्र यदुनाथ सिंह,
2– बीरेन्द्र सिंह पुत्र सोबरन सिंह
3– सुरेन्द्र सिंह पुत्र लाल सिंह,
4– मुन्नी देवी,
5– गिरजा देवी
6– उर्मिला देवी पुत्रियां लालसिंह
समस्त निवासीगण हाउसिंह कालोनी,
भिण्ड, तहसील व जिला भिण्ड

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1– महेश बाबू
2– सुरेश बाबू
3– नरेश बाबू पुत्रगण श्याम नारायण
4– मदन
5– संतोष पुत्रगण ओमप्रकाश
6– महिला रानी बेटी विधवा पत्नी ओमप्रकाश
समस्त निवासीगण पुरानी बस्ती, भिण्ड
तहसील व जिला–भिण्ड, म0प्र0

.....अनावेदकगण

.....

श्री एस0के0 अवस्थी व श्री के0डी0 दीक्षित, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एस0के0 वाजपेयी, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 3/5/17 को पारित)

यह निगरानी, आवेदकगण द्वारा भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–04–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि कस्बा भिण्ड में स्थित विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 1822/1, 1822/2 जिसके अभिलिखित भूमिस्वामी मृतक श्यामनारायण थे । अनावेदकगण ने विचारण न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 115, 116, एवं 110 के अन्तर्गत आवेदन पत्र इस आशय का पेश किया कि विवादित भूमि के अभिलिखित भूमिस्वामी श्यामनारायण थे उनकी मृत्यु हो जाने के बाद अनावेदकगण भूमिस्वामी हो गये । नामान्तरण भी हो चुका है और ऋण–पुस्तिकायें भी प्रदान की गयी । अनावेदक की भूमि पर अवैध रूप से आवेदकगण के नाम का इन्द्राज कर दिया गया । जानकारी होने पर अनावेदकगण द्वारा विचारण न्यायालय में इन्द्राज दुरूस्त किये जाने का आवेदन–पत्र संहिता की धारा 115, 116 का पेश किया जो पारित आदेश दिनांक 5–3–10 से स्वीकार हुआ । विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05–03–2010 से परिवेदित होकर आवेदकगण ने अपील अनुविभगीय अधिकारी, जिला–भिण्ड को पेश की, जो प्रकरण क्रमांक 67/2009–10/अपील में पर दर्ज होकर पारित आदेश दिनांक 16–03–2012 से स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय का आदेश निरस्त किया। अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–03–2012 से दुःखी होकर अनावेदकगण ने द्वितीय अपील न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग, जिला–मुरैना के समक्ष प्रस्तुत की । न्यायालय अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण क्रमांक 108/2011–12/अपील, पंजीबद्ध की जाकर विचाराधीन पारित आदेश दिनांक 27–04–13 से अपील स्वीकार की जाकर एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05–03–10 यथावत रखा गया । अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–4–13 से परिवेदित होकर आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष पेश की गई है ।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा अपने तर्कों में मुख्य रूप से यह बताया कि अपर आयुक्त के समक्ष आवेदकगण ने जो आपत्तियां की थी तथा जिनका उल्लेख विवादित अपर आयुक्त के आदेश के पद क्र0 4 में किया गया है, इन आपत्तियों पर न तो विचार ही किया गया है और न इन आपत्तियों का निराकरण ही किया गया है । वर्तमान प्रकरण में धारा 115, 116 एवं धारा 110 का प्रावधान लागू नहीं होते हैं । इस कारण प्रारम्भिक न्यायालय में प्रकरण प्रथम दृष्टया ही प्रचलन योग्य नहीं था । ऐसी स्थिति में प्रारम्भिक न्यायालय के आदेश को अनुविभागीय अधिकारी ने सही तौर पर निरस्त किया था । तर्क में यह भी बताया कि संहिता की धारा 115 के अधीन प्रकरण में स्वमेव कार्यवाही की जाती है । प्रार्थना पत्र पर की गई कार्यवाही में धारा

115 के प्रावधानों का उपयोग नहीं किया जा सकता है । धारा 116 भू--राजस्व संहिता के अधीन प्रस्तुत आवेदन--पत्र में समयावधि एक वर्ष निश्चित है जबकि वर्तमान प्रकरण में प्रार्थना पत्र लगभग 40 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत किया गया है, ऐसी स्थिति में धारा 116 के प्रावधान प्रकरण में लागू नहीं होते । विवादित भूमि आवेदकगण ने विधिवत नीलाम में क्रय की है, ऐसी स्थिति में बिना जांच किये लम्बे समय के पश्चात् आवेदकगण का नाम राजस्व अभिलेख में से पृथक किये जाने का आदेश त्रुटिपूर्ण है । अंत में आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा निगरानी प्रस्तुत कर अपर आयुक्त के आदेश को निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार करने का निवेदन किया गया है ।

4/ अनावेदक की ओर से अभिभाषक द्वारा अपने तर्कों में मुख्य रूप से यह बिन्दु प्रस्तुत किये कि विचारण न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 115, 116, 110 के अन्तर्गत आवेदन पत्र पेश कर गलत इन्द्राज को दुरूस्त कराने के लिये प्रस्तुत किया गया था । विचारण न्यायालय द्वारा प्राप्त साक्ष्य के आधार पर आवेदकगण के नाम निरस्त कर अनावेदकगण के नाम खसरों में इन्द्राज किये जाने का आदेश दिया गया था । अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड द्वारा मात्र यह मानकर कि 12 वर्ष से अधिक समय की इन्द्राज को दुरूस्त नहीं किया जा सकता । जबकि अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड के समक्ष यह आधार था कि विचारण न्यायालय के जिस प्रकरण क्रमांक व दिनांक आवेदकगण के नाम खसरे दर्ज किये गये थे वह प्रकरण ही नहीं है और दायरा पंजी में दर्ज है । ऐसी फर्जी इन्द्राज को सही ठहराया गया । ऐसी फर्जी कार्यवाही के विरूद्ध कभी भी अपील प्रस्तुत की जा सकती है । समय सीमा का कोई बंधन नहीं है । इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी, जिला भिण्ड द्वारा पारित आदेश नियमानुसार एवं विधि के विपरीत होने के कारण स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । इस ओर अपर आयुक्त द्वारा ध्यान दिया जाकर तहसील न्यायालय का आदेश यथावत रखते हुये अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त करने में विधिअनुकूल कार्यवाही की गई है । अंत में अनावेदकगण के अभिभाषक द्वारा अपर आयुक्त के आदेश को विधि अनुकूल बताते हुये उसे स्थिर रखे जाने का निवेदन कर निगरानी खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

5-- प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा विद्वान अभिभाषकगणों के तर्कों पर मनन किया गया एवं विभिन्न अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों का सूक्ष्म अध्ययन किया गया । तहसीलदार के समक्ष अनावेदक ने उल्लेख किया कि उनका नामान्तरण

हो गया था । पुष्टि के लिये अनावेदक ने खसरा पेश न कर मात्र ऋण पुस्तिका पेश की अतः तहसीलदार के पहले संहिता की धारा 114–ए के अन्तर्गत उक्त प्रविष्टियों में अन्तर के संबंध में पर्याप्त जॉच करना थी जो उन्होने नहीं की । आवेदकों को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर भी नहीं दिया । मूल भूमिस्वामी की मृत्यु कब हुई, इस तथ्य पर भी विचार नही किया गया । अपर आयुक्त ने भी बिना जॉच के ही प्रविष्टियों को फर्जी करार दे दिया । वही अनुविभागीय अधिकारी ने तथ्यों को देखे बिना तकनीकी बिन्दुओं पर आदेश पारित किया उक्त प्रकाश में सभी तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण तहसील न्यायालय को भूमि–अभिलेखों की प्रविष्टियों/अन्तर की पूर्ण जॉच तथा उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देकर पुनः आदेश पारित करने को प्रकरण प्रत्यावर्तित (remand) किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर